कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

: : संशोधित परिपत्र : :

अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक : एफ–11/एससी एसटी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सान्याअवि/12/पार्ट–3/7201 दिनांक : 21.02.2017 एवं कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक : 36028/1/2014–संस्थापन दिनांक 06.05.2016 के अनुसरण में विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक : 07.03.2017 द्वारा राज्य के विद्यालयों में राज्य सरकार ने कक्षा–5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र दिए जाने के निर्देश जारी किए गए है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के संशोधित परिपत्र क्रमांक : एफ–11/एससी एसटी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सान्याअवि /12 / पार्ट–3/31927 दिनांक : 05.06.2017 के अनुसरण में विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक : 07.03.2017 में यह और सम्मिलित किया जाता है कि :–

"जाति प्रमाण पत्र यथा संभव कक्षा–5 में अध्ययनरत विद्यार्थी को जारी किया जावेगा। यदि अपरिहार्य कारणों से किसी विद्यार्थी का उक्त जाति प्रमाण पत्र कक्षा–5 में जारी नहीं हो पाता है तो ऐसे विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र कक्षा–8 में भी जारी किया जा सकेगा।"

अतः राज्य में संचालित समस्त राजकीय सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक उक्त आदेश के अनुसरण में उपरोक्त वर्णित प्रक्रियान्तर्गत जाति प्रमाण पत्र जारी करवायेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/22411/2016/42 दिनांक : 06.07.2017

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–6)विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक : प.24 (81) शिक्षा–6/2015, जयपुर, दिनांक : 13.06.17 के क्रम में सूचनार्थ।
5. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना के लिये समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय को अधीनस्थ संस्था प्रधानों को निर्देशों की सुनिश्चित क्रियान्विति के लिए पाबन्द किए जाने हेतु।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
8. वरिष्ठ सम्पादक–शिविरा, कार्यालय हाजा को शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय का पता :– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर ☎ 0151–2544043
Email : ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in
E:\ma-sa\gendetter.docx